न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1207–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.2.2014 पारित व्दारा – तहसीलदार जतारा जिला टीकमगढ़ – प्रकरण क्रमांक 487/बी–121/12–13

चिंतामन पुत्र बैजनाथ दांगी ग्राम बैरवार
तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ ---आवेदक

विरूद्ध

1– अम्विकाप्रसाद पुत्र ठाकुरदास
2– श्यामलाल पुत्र बैजनाथ दांगी
ग्राम बैरवार तहसील जतारा,टीकमगढ ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक क–1 के अभिभाषक श्री दिलीप पासी)
(अनावेदक क–2 सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 5–11 –2015 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार जतारा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 487/बी–121/12–13 में पारित आदेश दिनांक 13.2.14 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि श्यामलाल एंव चिंतामन ने तहसीलदार जतारा को आवेदन देकर मांग रखी कि मौजा बैरवार स्थित भूमि ख.नं. 913/1/2, 915/7 की तरमीम बिना सक्षम आदेश के राजस्व निरीक्षक व हलका पटवारी से राजनैतिक व सांठ–गांठ करके नक्शा ट्रेस कराई है जांच कर कार्यवाही की जावे।

तहसीलदार जतारा ने प्रकरण कमांक 487/बी-121/ 12-13 पंजीबद्व किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 13.2. 14 पारित करके आवेदकगण का आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों को सुना तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनावेदक क-2 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रकरण के अवलोकन से निगरानी की ग्राह्यता पर विचार किया गया। तहसीलदार के समक्ष श्यामलाल एंव चिंतामन ने आवेदन देकर मांग रखी कि मौजा बैरवार स्थित भूमि ख.नं. 913/1/2, 915/7 की तरमीम बिना सक्षम आदेश के राजस्व निरीक्षक व हलका पटवारी से राजनैतिक व सांठ-गांठ करके नक्शा ट्रेस कराई है जांच कर कार्यवाही की जावे अर्थात श्यामलाल एंव चिंतामन का मूल आवेदन गलत नक्शा ट्रेस की आपत्ति का होकर नक्शा सुधार वावत् है एंव म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 68, सहपठित 70 के अंतर्गत तहसीलदार ने आदेश पारित किया है । तहसीलदार का यह आदेश अपील योग्य है सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनवाई योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार जतारा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 487/बी-121/12-13 में पारित आदेश दिनांक 13.2.14 हस्तक्षेप योग्य नही है तथा निगरानी अग्राह्य पाये जाने से अमान्य की जाती है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर